तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज खेमसिंह बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी लूणी) सू.अ.अ. अपील संख्या 130 / 2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.08.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी खेमसिंह पुत्र गणपतसिंह निवासी शिकारपुरा तहसील लूणी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 13.06.19 में उसके द्वारा (1) उपखण्ड अधिकारी लूणी जिला जोधपुर की गाड़ी नम्बर आर जे 19 यूए–6721 की लोक बुक दिनांक 21.05.2019 से 31.05.19 तक नियमानुसार प्रमाणित छाया प्रतियां, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी आज अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(उपखण्ड अधिकारी लूणी) से जरिये पत्रांक 77 दिनांक 09.08.19 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा गाड़ी नंबर आर.जे.19–युए–6721 की लॉकबुक दिनांक 21.05.19 से 31.05.19 की प्रति चाही गई थी जिस पर इस कार्यालय के पत्रांक 381 दिनांक 17.07.19 द्वारा शुल्क जमा कराने के लिये पत्र लिखा गया किन्तु आज दिनांक तक शुल्क जमा नहीं करवाया गया। अपनी रिपोर्ट में यह भी बतलाया कि प्रार्थी द्वारा यह अपील इस कार्यालय में प्रार्थना पत्र के विचाराधीन होते हुए अपील प्रस्तुत की है जो युक्तियुक्त नहीं है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य है। यद्यपि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को जरिये पत्राक 381 दिनांक 17.07.19 के जरिये सूचना शुल्क जमा कराने हेतु पत्र जारी किया जा चुका है परन्तु कुल कितने पृष्ठ की सूचना या कुल कितना शुल्क जमा कराना है, स्पष्ट नहीं किया गया है जो आवश्यक है। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि ऐसे प्रार्थना पत्र पर दी जाने वाली सूचना से संबंधित निर्धारित सूचना शुल्क के लिए कुल पृष्ठ एवं राशि का स्पष्ट रूप से अंकन करें। अपीलार्थी से भी आग्रह किया जाता है कि सूचना प्राप्त करने के लिए गंभीर है तो लोक सूचना अधिकारी कार्यालय में जाकर निर्धारित सूचना शुल्क जमा कराकर अब भी सूचना प्राप्त कर सकता है तथा अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	